अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

28
27.06.2023

न्यायालय उपायुक्त, राँची

एस० ए० आर० अपील वाद सं० 49 आर० 15/2020–21

1. वरूण कुमार हजाम पिता स्व० बैजनाथ हजाम
2. बिजय कुमार हजाम पिता स्व० जगरनाथ हजाम

दोनो निवासी ग्राम चोके सेरेंग टोला, कोका लगाम,
थाना सिल्ली, जिला राँची .... अपीलकर्त्ता

बनाम

1. बीरबल महली
2. निर्मल महली

दोनो पिता स्व० प्रेमनाथ महली
निवासी ग्राम चोकेसेरेंग थाना सिल्ली, जिला राँची
.... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची द्वारा एस० ए० आर० (भू – वापसी) वाद सं० 105/1974–75/टी०आर० सं० 37/1998–99 मे पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, राँची ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के तहत्त ने अपीलकर्त्ता से संबंधित मौजा टुटकी, थाना सिल्ली, जिला राँची के खाता सं० 88, प्लॉट सं० 2241, 2261, 2263, 2276, 2300 क्रमशः रकबा 1.58 एकड, 0.09 एकड, 1.56 एकड, 0.66 एकड एवं 0.40 एकड कुल रकबा 4.29 एकड़ भूमि को उत्तरवादी के पक्ष मे वापस करते हुए, अँचलाधिकारी सिल्ली को उक्त भूमि पर उत्तरवादी को दखल प्रदान करने का निदेश पारित किया गया है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग. कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा टुटकी, थाना सिल्ली, जिला रॉची के खाता सं० 88, प्लॉट सं० 2276 रकबा 0.54 एकड भूमि को मेघा महली, जया महली एवं प्रेमनाथ महली पिता स्व० शाहवत महली ने निबंधित पट्टा दिनांक 21.06.1951 द्वारा तत्कालीन जमींदार बाबु शैलेन्द्र चन्द्र मित्रा के पक्ष मे इस्तीफा कर दिया। तत्पश्चात् उपरोक्त जमींदार ने मौजा टुटकी, थाना सिल्ली, जिला रॉची के खाता सं० 88, प्लॉट सं० 2276 रकबा 0.54 एकड भूमि को सादा हुकुमनामा दिनांक 25.06.1952 द्वारा जीतु हजाम एवं कन्हाई हजाम पता सागर हजाम के पक्ष मे बंदोबस्त कर दिया तथा उन्हे उपरोक्त भूमि पर दखल प्रदान किया। उपरोक्त जीतु हजाम एवं कन्हाई हजाम द्वारा बंदोबस्ती मे मे प्राप्त उपरोक्त भूमि का लगान तत्कालीन जमींदार को अदा करने लगे एवं जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् उक्त जीतु हजाम एवं कन्हाई हजाम को राज्य द्वारा रैयती मान्यता प्रदान किया गया तथा उनके नाम से जमाबंदी खोल कर लगान वसूल किया गया। उपरोक्त जीतु हजाम अपने पीछे दो पुत्र जगरनाथ हजाम एवं जैनाथ हजाम छोड़ गये। उक्त जगरनाथ हाजम अपने पीछे चार पुत्र नारायण हजाम, अरूण हजाम, अजीत हजाम एवं विजय हजाम (अपीलकर्त्ता सं० 2) छोड गये तथा उक्त कन्हाई हजाम अपने पीछे दो पुत्र बैजनाथ हजाम एवं हारू हजाम छोड़ गये। उपरोक्त बैजनाथ हजाम अपने पीछे एकमात्र पुत्र बरूण हजाम (अपीलकर्त्ता सं० 1) छोड़ स्वर्गवास हो गये।

उपरोक्त प्रेमनाथ महली ने अपीलकर्त्ता 1 एवं 2 के पिता जगरनाथ हजाम एवं बैजनाथ हजाम के खिलाफ मौजा टुटकी, थाना सिल्ली, जिला रॉची के खाता सं० 88, प्लॉट सं० 2241, 2261, 2263, 2276 एवं 2300 के वापसी हेतु छोटानागपुर कास्ताकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत एस० ए० आर० वाद सं० 383/1970 दायर किया, जिसमे विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची ने आदेश दिनांक 24.01.1974 द्वारा मौजा टुटकी, थाना सिल्ली, जिला रॉची के खाता सं० 88, प्लॉट सं० 2276 एवं 2300 भूमि पर आवेदक प्रेमनाथ महली के दावा को खारिज कर दिया एवं शेष भूमि अर्थात प्लॉट सं०

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2241, 2261 एवं 2263 को आवेदक प्रेमनाथ महली के पक्ष मे वापस करने संबंधी आदेश पारित किया गया। एस० ए० आर० वाद सं० 383/1970 के खिलाफ उपरोक्त प्रेमनाथ महली द्वारा कोई अपील दायर नही किया गया, अतः उपरोक्त आदेश अंतिमतः को प्राप्त हुआ।

तत्पश्चात् उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुए उक्त प्रेमनाथ महली द्वारा पुनः उपरोक्त भूमि के वापसी हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत एस० ए० आर० वाद सं० 105/1974 दायर किया, जिसे तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी ने आदेश दिनांक 17.04.1998 द्वारा अस्वीकृत कर दिया। उपरोक्त आदेश दिनांक 17.04.1998 के खिलाफ उक्त प्रेमनाथ महली द्वारा एस० ए० आर० अपील वाद सं० 147 आर० 15/1998–99 दायर किया, जिसमे तत्कालीन न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2011 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओ पर जॉच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गयाः–

1. क्या भू–वापसी वाद सं0–105/1974 भू–वापसी वाद सं0–373/1970 के विरूद्ध था
2. क्या अपीलकर्त्ता / आवेदक का वादगस्त भूमि की वापसी Principle of Res-judicata से प्रभावित है।
3. क्या सहवत महली एवं उनके उत्तराधिकारी वादग्रस्त भूमि के रैयत थे।
4. क्या सहबत महली के द्वारा 1937 में क्रियावित विक्रय पत्र एवं 1952 एवं 1953 में किये गये इस्तिफा नामा एवं तदनुसार प्रतिवादियों के साथ जमीन की बन्दोबस्ती वैध है।
5. क्या आवेदक का दावा समय के बिन्दु पर कालबाधित है एवं जमीन पर उनका अनुकूल कब्जा हो गया है।

उपर्युक्त वाद मे विचारण करने के उपरान्त विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओ पर निम्नलिखित आदेश पारित किया

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	गया। 1. भू–वापसी वाद स०–105/1974 संदेहास्पद प्रतीत होता है। वास्तवीक भू–वापसी याद सं0–383/1970 है। 2. वादग्रस्त भूमि Principal of Res Judicata से प्रभावित नहीं है। 3 शहबत महली एवं उनके उत्तराधिकारी वादग्रस्त भूमि के रैयत थे न कि जमीन्दार 4 शहबत महली के द्वारा वर्ष 1937 में क्रियावित विक्रय पत्र सही है परन्तु वर्ष 1952 एवं 1953 में किये गये इस्तिफानामा एवं तदनुसार प्रतिवादियों के साथ जमीन की बन्दोबस्ती वैध नहीं है। 5 आवेदकों द्वारा भू–वापसी वाद सं०–383/1970 दायर किया गया है जो समय के बिन्दु पर कालबाधित नहीं है एवं जमीन पर उनका अनुकूल कब्जा भी हो गया है। अपितु विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भू–वापसी वाद स०–105/1974 संदेहास्पद प्रतीत होता है। वास्तविक भू–वापसी वाद सं0–383/1970 है, परन्तु उनके द्वारा तत्कालीन विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.1974 पर विचार नही किया गया, जिसके अन्तर्गत उन्होने मौजा टुटकी, थाना सिल्ली, जिला रॉची के खाता सं० 88, प्लॉट सं० 2276 एवं 2300 भूमि पर आवेदक प्रेमनाथ महली के दावा को खारिज कर दिया था एंव चुँकि एस० ए० आर० वाद सं० 383/1970 मे पारित आदेश को किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त नही किया गया है, अतः विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा एस० ए० आर० (भू – वापसी) वाद सं० 105/1974–75/टी०आर० सं० 37/1998–99 मे पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 Principle of Res-judicata से प्रभावित है। प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1951 ई० मे तत्कालीन जमींदार द्वारा अपीलकर्त्ता के पूर्वज के पक्ष मे बंदोबस्त किया गया था एवं Bihar Schedule Area Regulation, 1969 के लागु होने के पूर्व अपीलकर्त्ता के पूर्वज 12 वर्ष के अधिक समय से प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहे एवं इस प्रकार Bihar Schedule Area Regulation, 1969 के लागु होने के पूर्व प्रश्नगत भूमि पर उनका अनुकूल कब्जा हो गया है एवं आवेदक प्रेमनाथ	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

महली का आवेदन कालबाधित है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – उत्तरवादी के पिता प्रेमनाथ महली के द्वारा 1. कलिया महतो, पिता–शानिया महतो, 2 परना महतो 3. सीतया महतो 4 जीतु हजाम, 5 कन्हाई हजाम, 6 नटवर मुण्डा के विरुद्ध भू–वापसी वाद स०–383/1970 दायर किया था। प्रेमनाथ महली के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रो, बीरबल महली एवं निर्मल महली को उक्त वाद मे आवेदक के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया। उपरोक्त एस० ए० आर० वाद सं० 383/1970 मे तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, श्री एल० मिश्रा दिनांक 24.01.1974 को भू–वापसी आवेदन पत्र की स्वीकृति दी गई। उक्त भू–वापसी आदेश के पश्चात फागु महतो इस न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद सं0–121 आर०15/1973–74 दायर किया, जिस पर सुनवाई के उक्त एस० ए० आर० वाद को निम्न न्यायालय को पुनः आदेश पारित करने के निमित प्रतिप्रेषित किया गया। इस वाद के रिमाण्ड होने के पश्चात दोनों पक्षों को दिनांक 31.08.1974 को श्री गौरी प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी सह विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय के द्वारा भू–वापसी वाद सं0–383/1970 से नोटिस निर्गत की गई। भू–वापसी वाद सं०–383/1970 में उक्त वाद के विपक्षियों की ओर से अनेकों तिथि में हाजरी वर्ष 1972 से 1975 तक प्रस्तुत किया गया है. हाजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाजरी श्री एस० जी प्रसाद दण्डाधिकारी, के न्यायालय प्रस्तुत किया गया है एवं जिसका केश नं०–383/1970 धारा–71 ए. छोटानागपुर कास्तंकारी, अधिनियम उल्लेख था। इसके सबसे उपर एम० एम० रॉय, विशेष विनियमन पदाधिकारी रांची के न्यायालय का नाम अंकित है एवं इसमें प्रेमनाथ महली बनाम् कालिया महतो एवं अन्य भू वापसी वाद स०– 105/1974 उल्लेख किया गया है। हाजरी में दो विभिन्न न्यायालयों का नाम अंकित है एवं दो विभिन्न वादो का नाम उल्लेख है। यह कार्य अपीलकर्त्ता के द्वारा भू–वापसी वाद सं०–105/1974 को साक्ष्य के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया है आदेश फलक दिनांक–04.09. 1997 से स्पष्ट है कि इसे श्री एम०एम० राय, कार्यपालक दण्डाधिकारी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

के न्यायालय मे हस्तान्तरित किया गया था। वास्तव में भू वापसी वाद सं0–383/1970 सही है और भू–वापसी वाद सं०–105/1974 का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्ष 1974 का अभिलेख गलत ढंग से तैयार किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा कपटपूर्ण तरीके से भू–वापसी वाद सं०–105/1974 अवैध रूप से तैयार कराकर अस्वीकृति का आदेश प्राप्त किया है।

प्रश्नगत भूमि के बावत सभी प्रकार का बिक्री, बन्दोबस्ती, इस्तीफा उपायुक्त महोदय की पूर्वानुमति के बिना किया गया है। जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। वर्ष 1947 में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संशोधन के पश्चात सभी रैयतों को उपायुक्त महोदय की पूर्वानुमति जमीन के सरेन्डर करने में लेना आवश्यक है। इस प्रकार 1952 एवं 1953 में निष्पादित इस्तीफानामा अवैध एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 72 का उल्लंघन है एवं भू वापसी वाद सं० 383/1970 30 वर्षो के नियत अवधि के अन्दर दायर किया गया है तथा कालबाधित नही है।

शहबत महली कभी भी टेनियोर होल्डर नहीं था। वे प्रश्नगत भूमि के रैयत थे, लेकिन चूकवश खेवट संख्या–6/5 शहबत महली के नाम से दर्ज किया गया। जिसे भूतपूर्व जमीन्दार सुरेश चन्द्र मित्रा द्वारा न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में चुनौती दी गई थी जो अपील सं०–56/1935 द्वारा पंजीकृत किया गया। उक्त वाद मे शहबत महली के नाम से कायमी खाता खोला गया तथा लगान निर्धारित किया गया । शहबत महली और उसका पुत्र प्रेमनाथ महली रैयत थे और उनके द्वारा किसी के साथ जमीन बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख के समग्र आवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता का दावा उत्तरवादी के पूर्वज द्वारा तत्कालीन जमींदार बाबु शैलेन्द्र चन्द्र मित्रा के पक्ष मे निबंधित पट्टा दिनांक 21.06.1951 द्वारा निष्पादित इस्तीफानामा पर आधारित है, परन्तु वर्ष 1947 मे हुए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 72 के संशोधन के उपरान्त, किसी भी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

रैयत को अपनी भूमि इस्तीफा देने के पूर्व उपायुक्त महोदय की पूर्वानुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था, इस प्रकार वर्ष 1952 में निष्पादित इस्तीफानामा अवैध एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 72 का उल्लंघन है एवं तद्नुसार अपीलकर्त्ता के पूर्वज के पक्ष मे प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती वैध नही है।

अतः यह अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा एस० ए० आर० (भू – वापसी) वाद सं० 105/1974–75/टी०आर० सं० 37/1998–99 मे दिनांक 06.11.2020 को पारित आदेश, (एस० ए० आर० अपील वाद सं० 42/2020–21 की विषय वस्तु को छोड कर) शेष भूमि से संबंधित आदेश यथावत बरकरार रखा जाता है तथा विद्वान निम्न न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वे (एस० ए० आर० अपील वाद सं० 42/2020–21 की विषय वस्तु को छोड़ कर) शेष भूमि का दखल उत्तरवादी को विधिवत प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करे।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमहर्त्ता, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 13:50:44 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d